कार्यकारी सारांश (EMR)

पावरग्रिड, देश की केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सी.टी.यू) संपीड़ित समय सारणी के आधार पर 9 अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क से जुड़े 7 राज्यों में विभिन्न इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आई.एस.टी.एस) का कार्यान्वयन कर रही है। सौर पारेषण क्षेत्र परियोजना ("प्रोजेक्ट") भडला (राजस्थान), बनसकंठा (गुजरात), तुम्कर (कर्नाटक) में सौर ऊर्जा पार्क से जुड़े विभिन्न ट्रांसमिशन सिस्टम और एचवीडीसी रिहांद-दादरी परियोजना के नवीनीकरण कार्य को ऋण संख्या 3521-IND और 8325-IND के तहत एडीबी से 225 मिलियन अमरीकी डोल्लर वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा है। 5 अप्रैल, 2017 को इस ऋण पे हस्ताक्षर किये गए एबं 31 मई, 2022 की समापन तिथि के साथ, 9 मई, 2017 को ऋण प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों की आयात क्षमता को दोहित सौर ऊर्जा के पारेषण के द्वारा सुधारना है, जो कि एक और सतत विकल्प, नवीकरणीय और गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा है।

एडीबी ने इस परियोजना को पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ई.एस.पी.पी) और सी.एस.एस के उपयोग के लिए तैयार सुरक्षा उपायों के लिए कार्य योजना के साथ लागू और निगरानी के लिए भी चुना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईएसपीपी ए.डी.बी के एस.पी.एस, 2009 के साथ पूर्ण समकक्षता को बनाए रखे और बनाए रखे। परियोजना को ए.डी.बी के एस.पी.एस के अनुसार पर्यावरण श्रेणी 'बी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परियोजना के अंतर्गत में 639.61 किमी नई 765 कीवो / 400 कीवो डी / सी पारेषण लाइनों (5 सेगमेंट में) और संबंधित उप-केन्द्र (1 नए 765 कीवो / 400/220 कीवो सबस्टेशन और 8 सबस्टेशन पर विस्तार कार्य) का निर्माण शामिल है। परियोजना घटक 4 राज्यों अर्थात राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। ट्रांसमिशन लाइनों का प्रस्तावित संरेखण पर्यावरण के प्रति संवेदनशील / संरक्षित क्षेत्र (जैसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य) से गुजरता नहीं है। हालांकि, सड़क क्रॉसिंग के साथ संजयुक्त केवल 90 मीटर चौड़ी बृक्ष क्षेत्र (संरक्षित वन), बनसकंथा (राधानेसड़ा) पूलिंग स्टेशन - बनसकंथा (पीजी) 400 केवी डी / सी लाइन से प्रभावित हो रहा है। नियमों के अनुसार, पावरग्रिड ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी प्राप्त करने के लिए वन व्यपवर्तन प्रस्ताव जमा किया है। इसके अलावा, पावरग्रिड ऋण के अनुबंधों के तहत एडीबी के साथ सहमत विभिन्न शर्तों और सीएसएस के तहत सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के कार्यान्वयन के साथ-साथ देश के अन्य सभी लागू नियमों / विनियमों का भी पालन कर रहा है। इस संबंध में अब तक कोई उल्लंघन / दंड नहीं दिया गया है।

परियोजना के कारण पर्यावरण, विशेष रूप से वायु, पानी, मिट्टी इत्यादि जैसे पर्यावरण मानकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा की अपेक्षित है, निर्माण अवधि के दौरान सबस्टेशन में छोटे पैमाने पर निर्माण गतिविधियों के कारण अस्थायी प्रभावों और लाइनों के लिए राइट अफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू) को समाशोधन के कारण वनस्पति के नुकसान जैसे कुछ प्रभावों को कभी भी टाला नहीं जा सकता है। हालांकि, आज तक किसी भी साइट से प्रस्तावित हस्तक्षेप के कारण शोर, यातायात, धूल इत्यादि या किसी भी बड़ी असुविधा के संबंध में जनता से कोई शिकायत नहीं हुई है। ईएमपी में सूचीबद्ध परियोजना विशिष्ट शमन उपायों, जो कि अनुबंध दस्तावेजों का भी हिस्सा है, परियोजना के विभिन्न चरणों में उचित रूप से लागू किया जा रहा है और उचित कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। ईएमपी में उल्लिखित पहचाने गए प्रभावों के अलावा, रिपोर्टिंग अवधि में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कोई अन्य अप्रत्याशित प्रभाव नहीं देखा गया / रिपोर्ट किया गया। सुरक्षा के संबंध में, सभी आवश्यक उपायों जिनमें उचित सावधानी / जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ पी.पी.ई. के उपयोग को सुनिश्चित किया गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी निर्माण स्थल से प्रमुख / मामूली चोटों

सहित किसी भी तरह की दुर्घटना (घातक या गैर-घातक) की सूचना नहीं मिली और साथ ही अनुलग्नक -2 में भी प्रदर्शित किया गया।

दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र शिकायतकर्तायें की चिंताओं और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित / हल कर रहा है। प्रभावित व्यक्तियों / जन साधारण की सभी चिंताओं / शिकायतों (मामूली शिकायतों सहित) को दर्ज किया जाता है और नियत समय सीमा के भीतर उनके निपटारे के लिए नियमित प्रयास किया जाता है। पेड़ और फसल मुआवजे की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, पावरग्रिड अधिकारी प्रभावित किसानों की शिकायतों को भी सुनते हैं और प्रभावित लोगों की चिंताओं को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं। हालांकि, मैसर्स ग्रीन वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर द्वारा मैसूर-हिरियुर 400kV लाइन में स्थान संख्या 137/0 - 137/1 पर मार्ग परिवर्तन हेतु 01.02.18 को एक रिट याचिका दायर की गई जो अभी तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं सुना गई है। हालाँकि, संभावित निपटारे के लिए शिकायतकर्ता के साथ नियमित परामर्श जारी है।

परियोजना कार्यान्वयन की पावरग्रिड का पद्धति जिसमे डिजाइन चरण में ही इष्टतम मार्ग के चयन, ईएमपी के उचित कार्यान्वयन और मजबूत संस्थागत व्यवस्था द्वारा समर्थित निगरानी तंत्र ने परियोजना जीवन चक्र में परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों को काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा, परियोजनाओं के प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ जैसे रोजगार के अवसर, स्वच्छ और हरे स्रोत से बेहतर बिजली की आपूर्ति, बुनियादी सुविधाओं की सुविधाओं में सुधार, बेहतर व्यावसायिक अवसर परियोजना के नगण्य प्रभाव से अधिक है।